Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 28-07-2006

Participants : Gangwar Shri Santosh Kumar

>

Title : New policy of Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP).

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : सभापति जी, धन्यवाद।

मैं आपके द्वारा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विज्ञापन एवं दृय प्रचार निदेशालय है। यह पूरे देश की सभी भााओं के समाचारपत्र व पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन जारी करने का कार्य करता है। ये विज्ञापन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं पी.एस.यूज. के दिए जाते हैं। डी.ए.वी.पी. विज्ञापन जारी करने के बारे में समय-समय पर दिशा-निर्देश तय करता है और सारे देश के समाचारपत्र एवं पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन दर भी तय करता है। डी.ए.वी.पी. द्वारा समय-समय पर प्रकाशित होने वाले सभी पत्र एवं पत्रिकाओं को सूचीबद्ध भी किया जाता है। पूर्व के नियमों के अनुसार कोई भी नया समाचारपत्र या पत्रिका जो एक वर्ा से लगातार प्रकाशित हो रही है, उसे विज्ञापनों के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाता है, परन्तु अब 1 जून, 2006 से डी.ए.वी.पी. द्वारा नए नियम निर्धारित किए गए cé[rpm75]।

इसके तहत समय सीमा को एक वर्ा की बजाय तीन वर्ा कर दिया गया है। इससे स्पट समझ में आता है कि यदि कोई नया समाचार पत्र-पत्रिका चलाना चाहे तो उसको कठिनायी होगी। उसके लिए तीन वर्ा की अवधि बहुत लम्बी होगी और उसके लिए तीन वर्ा तक बिना विज्ञापन के चलाना असम्भव होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस नियम के तहत पुराने अखबारों पर नया संस्करण चालू करने की बाइंडिंग नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि जो भेदभाव की नीति बनायी गयी है, इसे बदला जाना चाहिए, ताकि नये समाचार पत्र और पत्रिकाओं को मौका मिले। इस नीति के तहत सरकार ने सोचा कि नये समाचार-पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित न होने पाएं।

मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वे एक जून को प्रकाशित की गयी नीति पर पुर्नविचार करें और नये पत्र-पत्रिकाओं को जिस तरह से पूर्व में सहयोग मिलता आया है, उसी तरह मिलता रहे। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।